

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

कमांक: प.5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक: 25/8/2021

आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.02.2020 में निम्नांकित संशोधन किये जाते हैं:-

(i) उक्त आदेश के बिन्दु संख्या-5 को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“5. शहरी क्षेत्र में लोक महत्व एवं ढांचागत विकास (Infrastructure Development) के लिए महत्वपूर्ण किसी भी विषय जो दो या अधिक विभागों के मध्य विवादग्रस्त है, का निस्तारण।” जिस विभाग का विषय होगा उसके मंत्री महोदय या प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को भी बैठक में आमंत्रित किया जायेगा।

(ii) उक्त आदेश के अन्तिम पैरा को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“इसके सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग होंगे।”

राज्यपाल की आज्ञा से,


-sd-

(गायत्री राठौड़)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
6. विशिष्ट सचिव, मुख्यमंत्री को उनकी अशा0 टीप सं. मु.मं./वि.स. (एडीएच)/2021/1054 दिनांक 18.08.2021 के क्रम में।
7. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
8. रक्षित पत्रावली।


प्रमुख शासन सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2019

जयपुर, दिनांक 19/02/2020

--:आदेश:-

नगरीय विकास विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

1. श्री शांति कुमार धारीवाल, संयोजक
मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. श्री परसादी लाल, सदस्य
मंत्री, उद्योग तथा राजकीय उपक्रम विभाग।
3. श्री हरीश चौधरी, सदस्य
मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग।
4. श्रीमती ममता भूपेश, सदस्य
राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार), जन
अभाव निराकरण विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ
विभाग।
5. श्री अर्जुन सिंह बामनिया, सदस्य
राज्यमंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार), उद्योग
एवं राजकीय उपक्रम विभाग।

उक्त समिति निम्नांकित प्रकृति के प्रकरणों पर निर्णय ले सकेगी:-


1. (a) रियायती दर पर सामाजिक एवं धार्मिक/चेरीटेबल संस्थाओं को भूमि आवंटन के संबंध में निर्णय हेतु तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी आवंटन नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन के प्रकरणों के संबंध में निर्णय। इनमें शैक्षणिक व चिकित्सालयों को भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण भी शामिल होंगे।
(b) समिति विकसित भूमि का आरक्षित दर का 30 प्रतिशत एवं अविकसित भूमि का DLC दर का 30 प्रतिशत दर तक भूमि आवंटन हेतु निर्णय ले सकेगी।
2. 30 प्रतिशत से कम दर पर भूमि आवंटन करने हेतु प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष विचारार्थ रखे जावेंगे।
3. कृषि भूमि के नियमन के ऐसे प्रकरण जिनमें अवाप्त भूमि/राजकीय भूमि के नियमन का प्रस्ताव हो और वे वर्तमान प्रचलित नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हों, में शिथिलता हेतु विचारार्थ रखे जाने वाले प्रकरण।
4. नगरीय क्षेत्रों के जटिल प्रकरण एवं पूर्व निर्णित प्रकरण जिन पर पुनः विचार किया जाना न्यायोचित हो तथा जिनको विभाग निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहे।

5. नगरीय विकास विभाग से संबंधित अन्तर्विभागीय प्रकरण।

उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास विभाग होगा तथा इसके सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(भवानी सिंह देथा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
8. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव

19/2/20